

दिनांक: 8.1.2009

विषय:- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और उनसे सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में समाधान हेतु शासन द्वारा नीति-निर्देश निर्गत करने हेतु।

आदरणीय मंत्री जी,

आपके द्वारा उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आयोजित आज की बैठक हेतु हम आपके अति आभारी हैं। आपके द्वारा व्यापारी हित में लिये जा रहे सौहार्दपूर्ण कदम के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम से संबंधित अनेक प्रकरण इस प्रकार के हैं, जिनमें शासन द्वारा स्पष्ट नीति-निर्देश निर्गत किया जाना सर्वथा प्रासंगिक होगा, जिनका विवरण संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरणों पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की कृपा करें।

शुभकामनाओं सहित व सादर।

भवनिष्ठ

(के.सी. जैन)

अध्यक्ष

मा. श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"

मंत्री संस्थागत वित्त, स्टाम्प, पंजीयन एवं न्याय शुल्क,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के संबंध में

जनपद एवं मण्डल स्तर पर स्टाम्प बन्धु के गठन हेतु:-

आय के स्रोतों में स्टाम्प एवं निबन्धन से होने वाली आय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिये व्यापार कर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान वर्ष 2007-08 में इस मद में अनुमानित आय 6000 करोड़ है। इस स्रोत से आय में वृद्धि हो और कर प्रशासन सरल बने व जनता भी प्रदेश की प्रगति में स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क के रूप में सहर्ष योगदान दे, कम से कम वाद जनहित हों, इस उद्देश्य से यह सर्वथा उचित होगा कि जनपद एवं मण्डल स्तर पर “स्टाम्प बन्धु” का गठन किया जाय, जिसमें शासकीय विभागों के अतिरिक्त स्टेक होल्डर्स को सदस्य बनाया जाय। इसी प्रकार जनपद स्तर पर “आवास बन्धु, उद्योग बन्धु, सिंचाई बन्धु” आदि का गठन किया गया है, जो विभागों के मध्य ‘इण्टरफेसिंग’ हेतु भी कारगर है।

इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28.6.2003 एवं 26.11.2007 की प्रतियाँ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु के मॉडल पर भी “मण्डल स्तरीय स्टाम्प बन्धु” का गठन किया जाना उचित होगा।

जिलाधिकारी की सर्किल दरें 'स्टाम्प विभाग' पर बाध्यकारी होनी चाहिए

जिलाधिकारी द्वारा 'स्टाम्प एक्ट' के अंतर्गत 1997 की नियमावली के नियम-4 के क्रम में सर्किल दरें निर्धारित की जाती हैं, जिसमें तहसील, निबन्धन विभाग एवं जिला प्रशासन का सक्रिय योगदान होता है।

सर्किल दरों के अनुसार स्टाम्प के भुगतान के उपरान्त भी स्टाम्प कमी के वाद प्रारम्भ कर दिये जाते हैं। यद्यपि क्रेता द्वारा विलेख के निष्पादन के समय न तो कुछ छिपाया गया होता है और न ही कोई गलत ब्यानी होती है।

अतः इस प्रकार के वाद शासन की छवि को धूमिल करते हैं एवं स्टाम्प भुगतानकर्ताओं के लिए अनावश्यक रूप से कठिनाई उत्पन्न करते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में यह सर्वथा उचित होगा कि यदि सम्पत्ति क्रेता द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुरूप स्टाम्प-शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में कोई स्टाम्प वाद हेतु कार्यवाही न की जाय और जिन प्रकरणों के अंदर यह कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की गई है तो वह समाप्त कर दी जाय। ऐसा किये जाने से अनावश्यक स्टाम्प वादों को समाप्त किया जा सकेगा।

50 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक की भूमि- 'कृषि भूमि' नहीं अपितु 'बल्क भूमि'

जिलाधिकारियों द्वारा कृषि भूमि के रूप में न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं जो 50 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर व उससे अधिक भी होती हैं। ऐसी भूमि वस्तुतः कृषि भूमि नहीं होती है अपितु भावनिक क्षमता से भरपूर भूमि होती है, जिसको कृषि भूमि के रूप में वर्णित करने से अनेक प्रकार के स्टाम्प वाद उत्पन्न हो जाते हैं।

इन दरों पर कोई किसान खेती के लिए भूमि को क्रय नहीं कर सकता है। वस्तुतः यह दरें ऐसी भूमियों की हैं जिनमें भावनिक क्षमता है और आवासीय अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त है।

अतः ऐसी पचास लाख रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा अधिक दर पर निर्धारित भूमियों को कृषि भूमि की संज्ञा न दी जाय बल्कि उन्हें 'बल्क भूमि' के रूप में वर्णित किया जाय। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश निर्गत किया जाना सर्वथा उचित होगा और स्टाम्प वादों को समाप्त कर सकेगा।

व्यवसायिक सम्पत्तियों का मूल्यांकन का नियम

1997 की नियमावली के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों का मूल्यांकन अनुमानित किराये के 300 गुने पर किया जाता है। इस प्रकार जो सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है वह 4% वार्षिक रिटर्न के आधार पर है, जो सर्वथा अनुचित है।

वर्तमान में वार्षिक रिटर्न व्यवसायिक सम्पत्तियों का कम-से-कम 10% है। अतः नियम के अंतर्गत संशोधन होना चाहिए ताकि सर्किल दरें वार्षिक दरों को प्रतिबिम्बित करें। यदि उनसे तीन सौ गुना करके मूल्यांकन निकाला जाता है तो वह वास्तविक कीमत का तिगुना बैठता है। जिसके कारण से कोई क्रेता विक्रय-पत्र नहीं कराना चाहेगा और पट्टा या विक्रय अनुबन्ध ही करायेगा।

अतः उचित होगा कि सुसंगत नियम का संशोधन शासन द्वारा यथाशीघ्र किया जाय।

पैनल्टी (Penalty) के प्राविधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु शासनादेश

धारा 47-क की उपधारा (4) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त लिखत (instrument) को सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं पाया जाता है तो ऐसी दशा में उचित स्टाम्प शुल्क या कमी स्टाम्प शुल्क को पूरा करने के लिये कलेक्टर आदेश कर सकता है और उसके साथ-साथ शास्ति (penalty) की रकम जो उचित शुल्क (proper duty) या उसके कमी वाले भाग की रकम (amount required to make up the deficiency in the same) के चार गुने से अनधिक न (not exceeding four times the amount of the proper duty or the deficient portion thereof) हो, का भी आदेश कर सकता है।

शास्ति (penalty) के प्राविधान दिनांक 20.5.2002 से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 वर्ष 2001 से प्रभावी हुये हैं जिसमें पूर्व धारा 47-क के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के अन्तर्गत penalty लगाने का अधिकार नहीं था।

Penalty को चार गुना (four times) तक लगाने का अधिकार क्या औचित्यपूर्ण है? वस्तुतः यह स्पष्ट अनुभव में आया है कि यह प्राविधान मनमाने आधार पर (man arbitrary manner) penalty की धनराशि आरोपित करने का हथियार बन गया है। ब्याज की राशि अधिनियम की धारा 47-क(4-क) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से देय है। अतः शास्ति (penalty) का स्वरूप ब्याज की क्षतिपूर्ति का नहीं है अपितु दण्ड देने का है।

यह भी विचारणीय बिन्दु है कि कलेक्टर के द्वारा penalty कब और किन परिस्थितियों में लगाई जानी चाहिए? मा. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन व अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट है कि अर्थदण्ड केवल जानबूझकर अपवंचना की स्थिति में लगाना चाहिये। विधि व्यवस्थाओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाना और अर्थदण्ड लगाना अलग-अलग प्रक्रियायें हैं। स्टाम्प शुल्क की कमी का निष्कर्ष मात्र अर्थदण्ड के प्राविधानों को आकर्षित नहीं करता है किन्तु प्रदेश में प्रत्येक प्रकरण में अर्थदण्ड लगाया जा रहा है चाहें जानबूझकर बाजार मूल्य को लिखत में कम अंकित किया हो अथवा स्टाम्प शुल्क की जानबूझकर अपवंचना नहीं की गई हो (deliberate evasion of stamp duty)।

शास्ति के वर्तमान प्राविधानों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा उचित नीति शासनादेश के माध्यम से प्रसारित की जाय ताकि वह शोषण का यन्त्र (tool of oppression) न सिद्ध हो।

‘बल्क भूमि’ व प्लॉटों की दरों में सापेक्ष

जिलाधिकारियों द्वारा जो दर सूची निर्गत की जाती हैं, उसमें आवासीय भूमि की दर निर्धारित होती है किन्तु उसका वर्गीकरण वृहद भूमि /बल्क भूमि एवं प्लॉट भूमि के रूप में नहीं होता है।

यह सर्वविदित है कि यदि अधिक क्षेत्रफल की भूमि को विक्रय किया जाता है तो वह बाजार में कम दर पर बिकती है, यदि उसकी तुलना छोटे प्लॉट की भूमि की जाय।

इस संबंध में अनेक विधि व्यवस्थाएँ माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की हैं। अतः विधि अनुरूप ही दर सूचियाँ बनाये जाने एवं आवासीय भूमि का वर्गीकरण क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना विधिसम्मत होगा।

समयबद्ध रिफण्ड्स किये जाने के सम्बन्ध में

अनेक प्रकरणों में अपीलीय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जमा किया गया स्टाम्प शुल्क वापिस होना होता है। किन्तु विभाग द्वारा ऐसी वापसी /रिफण्ड में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिससे असुविधा उत्पन्न होती है।

इस सम्बन्ध में हमारा आपसे अनुरोध है कि रिफण्ड्स को त्वरित गति व समयबद्ध रूप से किये जाने चाहिए, जिसके सम्बन्ध में शासन का मन्तव्य शासनादेश के माध्यम से स्पष्ट किया जाना उचित होगा।

रजिस्ट्री कार्यालयों की स्थिति में सुधार

निबन्धन कार्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं उनको असुविधा होती है। वृद्ध एवं महिलाओं को यह असुविधा अधिक है।

निबन्धन शुल्क से जबकि निबन्धन विभाग को व्यय के सापेक्ष में चार गुनी से भी अधिक आय है तो हमारा अनुरोध है कि निबन्धन कार्यालयों को सुविधा सम्पन्न करना चाहिए और वृद्ध व्यक्तियों के लिए निबन्धन की सुविधा भूतल पर ही उपलब्ध होनी चाहिए।

दुर्बल आय वर्ग के लिए भवनों के लिए विशेष छूट

दुर्बल आय वर्ग के आवासों के निबन्धन हेतु छूट दिया जाना उनके आवासों की समस्या के समाधान की दिशा में कारगर कदम होगा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1200 वर्ग फुट तक के आवासों के लिए स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट दे दी गई है।

उचित होगा कि उत्तर प्रदेश शासन भी कम क्षेत्रफल के दुर्बल आय वर्ग के आवासों के विक्रय पत्र पर स्टाम्प की पूर्ण छूट दे ताकि निर्धन व्यक्तियों के आवास का स्वप्न साकार हो सके।

संख्या: 3896 / 9-आ-1 / 2003

प्रेषक,

श्री जे.एस. मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ; दिनांक: 28 जून, 2003

विषय: आवास निर्माण में निजी पूंजी निवेश निदेश को प्रोत्साहन देने तथा आवास सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु प्राधिकरण क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु समिति का गठन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान, आवास सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा विकास प्राधिकरणों व उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् की "सुविधा प्रदायक" भूमिको को सुदृढ़ बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2713/9-आ-1-11-विविध/97 दिनांक 7.6.1997 द्वारा आवास विभाग के अधीन प्रदेश स्तर पर "आवास बन्धु" का गठन किया गया है। आवास बन्धु के कार्य-प्रबन्धन एवं कार्य-कलापों के पर्यवेक्षण हेतु माननीय आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में "हाई पावर कमेटी" गठित की गई तथा निजी क्षेत्र की अन्तर्विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "उपसमिति" भी गठित की गई है।

2. आवास बन्धु द्वारा विगत पाँच वर्षों में आवास सेक्टर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण तथा निजी क्षेत्रों के निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है फलस्वरूप आवास सेक्टर में निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है।

शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के निदेशकों / उद्यमकर्ताओं तथा उद्योगपतियों के समक्ष कई समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान प्राधिकरण क्षेत्र स्तर पर सम्भव है। अतः प्रत्येक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्तर पर "आवास बन्धु" के गठन से निजी निवेशकर्ताओं की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस व्यवस्था से ऐसी समस्त समस्याओं का समाधान सम्भव हो जाएगा जो अन्तर्विभागीय इण्टरफेस एवं समन्वय के अभाव में उत्पन्न होती है तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु में केवल वही समस्याएँ प्रस्तुत होंगी जिनका समाधान प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु स्तर पर सम्भव नहीं होगा या जिनमें नीति विषयक निर्णय/ मार्गदर्शन अपेक्षित है।

अतः श्री राज्यपाल महोदय उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41

(1) के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :-

(क) प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण वाले नगरों में “प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु” समिति का गठन किया जाता है।

(ख) प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु समिति के सदस्य निम्न होंगे :

- | | | |
|---------|--|------------|
| (i) | मण्डलायुक्त (मण्डल मुख्यालय नगरों में) | अध्यक्ष |
| (ii) | जिलाधिकारी | सदस्य |
| (iii) | उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| (iv) | मुख्य नगर अधिकारी | सदस्य |
| (v) | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| (vi) | परियोजनाधिकारी, डूडा | सदस्य |
| (vii) | अधिशेषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद | सदस्य |
| (viii) | अतिरिक्त जिलाधिकारी अथवा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी | सदस्य |
| (ix) | राज्य विद्युत निगम के नोडल अधिशेषी अभियंता | सदस्य |
| (x) | जलसंस्थान / जल निगम के नोडल अधिशेषी अभियंता | सदस्य |
| (xi) | लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिशेषी अभियंता | सदस्य |
| (xii) | स्थानीय बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (xiii) | स्थानीय आर्कीटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष | सदस्य |
| (xiv) | सहकारी आवास समिति / ग्रुप हाऊसिंग कालोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष | सदस्य |
| (xv) | सीनियर सिटीजन फोरम अथवा विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष | सदस्य |
| (xvi) | राज्य महिला संगठन की अध्यक्ष / प्रतिनिधि | सदस्य |
| (xvii) | विकास प्राधिकरण के सचिव | सदस्य सचिव |
| (xviii) | यदि कोई विषय किसी अन्य संस्था / विभाग से सम्बन्धित हो, तो उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमन्त्री के रूप में आमन्त्रित किया जा सकता है ; उदाहरणार्थ: मुख्य विकास अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, जिला पी.एच.डी.सी.सी. आदि। | |

नोट : मंडल मुख्यालय नगरों के लिए क्रम सं. (ii) (iii) तथा (iv) में वरिष्ठतम अधिकारी समिति के उपाध्यक्ष होंगे तथा शेष नगरों के लिए उक्त तीनों में वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

- (ग) प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु के कार्य-कलाप एवं दायित्व निम्न होंगे :-
- (1) निजी क्षेत्र के निवेशकर्ताओं को आवासीय विकास / निर्माण में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक आयोजित कर निर्णय लेना।
 - (2) आवासकीय से सम्बन्धित स्थानीय स्तर की लोक शिकायतों का समाधान।
 - (3) न्यू-टाउनशिप डेवलपमेंट, आवासीय उपनिवेश, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में शासन की नीति के अनुरूप आवास विभाग (राज्य स्तरीय आवास बन्धु) को संस्तुति उपलब्ध कराना,
 - (4) प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयों, आवासीय उपनिवेशों की प्रगति समीक्षा करना तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु को उनकी समस्याओं से अवगत कराना,
 - (5) आवास विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियामक सुधारों के स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण में राज्य स्तरीय आवास बन्धु को सहयोग प्रदान करना,
 - (6) समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।
 - (7) सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना,
 - (8) आवास क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं एवं शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु कैम्पस आयोजित कराना,
- (घ) प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु समिति की बैठक दो माह में एक बार आयोजित की जायेगी तथा तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- (ङ) बैठक का एजेण्डा तैयार करने हेतु समिति द्वारा पहले से ही निजी निवेशकों, उद्यमियों, निजी निर्माताओं से समस्याओं / शिकायतों का विवरण प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक की सूचना तथा एजेण्डा सभी सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जाएगा जिससे समस्त प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भाग लेना सम्भव हो सके।
- (च) समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं उसमें लिये गये निर्णयों के अनुपालन की सूचना अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी।
- (छ) ऐसे प्रकरण जिन पर विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु की बैठक में निर्णय सम्भव न हो पाए, को पूर्ण विवरण समित अधिशाषी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेंगे।
- (ज) उत्तर प्रदेश शासन के आवास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6153 / 9-आ-1/ प्रोसेसिंग शुल्क / 2001 दिनांक 24.11.2001 के द्वारा की गयी व्यवस्था नगर स्तरीय आवास बन्धु पर भी लागू मानी जायेगी तथा प्रोसेसिंग शुल्क से होने वाली आय सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के खाते में जमा कराई जायेगी।

(इ) “प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु” पर आने वाला व्यय सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय

(जे.एस. मिश्र)

सचिव

संख्या: 3896(1) / 9-आ-1 / 2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, औद्योगिक विकास / नगर विकास / ऊर्जा / गृह / लोक निर्माण / विकलांग कल्याण / पर्यावरण / ग्राम्य विकास / सहकारिता / राजस्व / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. अध्यक्ष, जल निगम उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी।
6. समस्त जिलाधिकारी क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी।
7. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
9. अधिशाषी निदेशक उद्योग बन्धु।
10. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु,
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्धक निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ, लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
14. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय भूसरेड्डी)

विशेष सचिव

(सत्य प्रतिलिपि)

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-आवास सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु का गठन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3895/9-आ-1-2003 दिनांक 28.06.2003 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि आपके नगर के लिए गठित स्थानीय आवास बन्धु अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है तथा शासन द्वारा बनाई गयी उक्त व्यवस्था का लाभ जन मानस को नहीं मिल पा रहा है जो उचित नहीं है। अतः अपेक्षित है कि आप कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन स्तर पर होने वाली प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में प्रश्नगत बिन्दु की भी समीक्षा की जायेगी। **अतः अपेक्षित है कि उक्त स्थानीय आवास बन्धु की मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन कराये** तथा उनमें दिये गये निर्णयों की सूचना यथा प्राप्त कुल शिकायतों उसके सापेक्ष निस्तारित केसेज की संख्या एवं अनिस्तारित **संदर्भों की संख्या कारण सहित प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह./-

(शंकर अग्रवाल)

प्रमुख सचिव

संख्या: 4010(1)/आठ-1-स्थानी आ.ब का गठन/2007 तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मंडलायुक्त: मेरठ/फैजाबाद/बाँदा/इलाहाबाद/बरेली/वाराणसी/आगरा/कानपुर/लखनऊ/मुरादाबाद/गोरखपुर/झाँसी मण्डल।
2. जिलाधिकारी: रायबरेली/फिरोजाबाद/उन्नाव/मुजफ्फरनगर/मथुरावृन्दावन/अलीगढ़/ हापुड़-पिलखुआ/बुलन्दशहर।

भवदीय,

ह./-

(शंकर अग्रवाल)

प्रमुख सचिव

(सत्यप्रतिलिपि)